भारत सरकार

कृषि मंत्रालय

कृषि और सहकारिता विभाग

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1424**

**05 दिसंबर, 2014 को उत्तरार्थ**

**विषय: गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य**

**1424. श्रीमती कनक लता सिंहः**

**क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) गत तीन वर्षों में गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में प्रति वर्ष कितने रूपए प्रति क्विंटल बढ़ोतरी की गई है;

(ख) क्या देशभर में किसानों की बढ़ती समस्याओं को देखते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की घोषणा पर्याप्त है;

(ग) न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण से पहले किन-किन एजेंसियों और संगठनों की राय ली जाती है और क्या इसमें किसानों से जुड़े किसी संगठन की राय ली जाती है; और

(घ) क्या यह सच है कि मंत्रालय द्वारा यह निर्देश/सुझाव राज्यों को दिया गया है कि वह अलग से फसल पर बोनस किसानों के न दें, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

**कृषि मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(श्री मोहनभाई कुंडारीया)**

(क) 2011-12 से 2014-15 की अवधि के लिए गेहूँ के न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (एमएसपी) तथा 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 के दौरान न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य में वृद्धि का ब्‍यौरा नीचे दिया गया है:

(रू०/क्‍विं)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **वर्ष** | **न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य** | **विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि** |
| 2011-12 | 1285 | - |
| 2012-13 | 1350 | 65 |
| 2013-14 | 1400 | 50 |
| 2014-15 | 1450 | 50 |

(ख) तथा (ग): सरकार, कृषि लागत एवं मूल्‍य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों, संबंधित राज्‍य सरकारों तथा केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के विचारों तथा अन्‍य संबंधित कारकों के आधार पर विभिन्‍न फसलों के न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍यों को निर्धारित करती है।

विभिन्‍न कृषि जिन्‍सों के लिए न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍यों की सिफारिश करते समय कृषि लागत एवं मूल्‍य आयोग कृषक प्रतिनिधियों सहित भिन्‍न-भिन्‍न पणधारियों के साथ भी परामर्श करता है। 2014-15 के लिए 1450 रू०/क्‍विं० पर गेहूँ का न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य कृषि लागत एवं मूल्‍य आयोग द्वारा अनुमानित 744 रू०/क्‍विं० पर पारिवारिक श्रम (ए2+एफएल) सहित अखिल भारतीय भारित औसत उत्‍पादन लागत की तुलना में पर्याप्‍त मुनाफा प्रदान करता है।

(घ) उपभोक्‍ता मामलें, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने एक नीति के संबंध में यह निर्णय लिया है कि खरीफ विपणन मौसम 2014-15 तथा रबी विपणन मौसम 2015-16 से, यदि कोई राज्‍य न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य के अतिरिक्‍त कोई बोनस की घोषणा करता है तो केंद्र सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण पद्धति/अन्‍य कल्‍याणकारी योजनाओं (टीपीडीएस/ओडब्‍ल्‍यूएस) के लिए खाद्यान्‍नों की आवश्‍यकता की मद में केंद्रीय पूल के लिए प्रापण को सीमित करेगी, विकेंद्रीकृत प्रापण (डीसीपी) वाले राज्‍यों के मामलों में, राज्‍य सरकार भारत सरकार की ओर से धान एवं गेहूँ की प्रत्‍यक्ष रूप से खरीददारी करती है। राज्‍य सरकार इस मात्रा के अतिरिक्‍त राज्‍य में अधिप्राप्‍त किसी अधिशेष मात्रा के निपटान के लिए भी जिम्‍मेदार होगी तथा वह इस संबंध में वित्तीय बोझ वहन करेगी।

गैर-विकेंद्रीकृत प्रापण वाले राज्‍यों के लिए, यह तय किया गया है कि यदि कोई राज्‍य न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य के अतिरिक्‍त बोनस की घोषणा करता है तो भारतीय खाद्य निगम संबंधित राज्‍य में न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य के संचालनों में भाग नहीं लेगा तथा राज्‍य की एजेंसियां अधिप्राप्‍त खाद्यान्‍न के भंडारण के लिए की जाने वाली व्‍यवस्‍थाओं सहित संसाधनों को जुटाएगी तथा स्‍वयं राज्‍य में संपूर्ण न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य संचालनों की देख-रेख करेगी।